उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-97/2021/918/22-4-2021-48(28)/13

लखनऊ : दिनांक- 17 सितम्बर, 2021

आदेश

अधिसूचना

कारागार अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1894) की धारा-3 के खण्ड(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देती हैं कि केन्द्रीय कारागार, इटावा की प्रसीमा, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, का स्थायी रूप से उपयोग बंदियों को निरूद्ध करने और उनका सुधार करने के लिए कारागार के रूप में किया जायेगा।

अनुसूची

केन्द्रीय कारागार, इटावा की सीमाएं

दिशा	गाटा संख्या	ग्राम का नाम	विवरण
पूरब	महोला सम्पर्क मार्ग	फूलापुर	सरकारी सड़क
पश्चिम	गाटा संख्या-151 व चक मार्ग	फूलापुर	शोभाराम आदि की कृषि भूमि व सरकारी सड़क।
उत्तर	गाटा संख्या-153, 152	फूलापुर	शोभाराम आदि, राकेश कुमार आदि की भूमि।
दक्षिण	गाटा संख्या- 378 मि0, व सिरसा नदी	फूलापुर	राम रतन आदि की कृषि भूमि और नदी।

अवनीश कुमार अवस्थी

अपर मुख्य सचिव।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-97 /2021/918/22-4-2021-48(28)/13-**तददिनांक-**

अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

(3) मण्डलायुक्त, कानपुर।

(4) जिलाधिकारी, इटावा।

(5) पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर।

(6) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।

(7) उप महानिरीक्षक, कारागार कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर।

(8) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया प्रश्नगत अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 गजट प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(9) अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।

(10) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

(11) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के सूचनार्थ।

(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Karagar Prashasan Evam Sudhar Anubhag-4

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-97/2021/918/22-4-2021-48(28)/13, Dated- 17 September, 2021

ORDER

NOTIFICATION
No-97 /2021/918/22-4-2021-48(28)/13
Lucknow, Dated- 17 September, 2021

In exercise of the powers under clause (1) of section-3 of the Prisons Act 1894 (Act no-9 of 1894), the Governor is pleased to order that the precinct of the Central Prison, Etawah whose boundaries are specified in the Schedule below shall be used permanently as Prison for the detention and reformation of prisoners.

SCHEDULE

Boundaries of the the Central Prison, Etawah

Direction	Gata Number	Name of Village	Remarks
East	Mahola Approach Road	Phoolapur	Government Road
West	Gata No. 151 and Chakroad	Phoolapur	Agriculture Land of Shobha Ram etc & Government Road.
North	Gata No. 153, 152	Phoolapur	Land of Shobha Ram etc, Rakesh Kumar etc.
South	Gata No. 378 मि0 & Sirsa River	Phoolapur	Agriculture Land of Ram Ratan etc & River.

By Order

Awanish Kumar Awasthi
Additional Chief Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।